तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पीठासीन अधिकारी राज्यकार्य/अवकाश पर रहने /राज्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण आज 30/X/2017 को तारीख पेश जरिए नोटिस दिनांक 20/11/17 निश्चित की गई	
20/11/17	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 19/12/2017 को पेश हो।	
19/12/17	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 30/1/18 को पेश हो।	
30/1/18	पत्रावली पेश हुई। वकील B.M. प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण उप०। उभयपक्ष के वकलाय की बहस सुनी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी से रंजिश रखते हैं दि० 8.6.14 को अप्रार्थीगण द्वारा ख०न० 4878 की उत्तरी-पूर्वी कोने पर स्थित पुख्ता दीवार पुख्ता की तोड़-फोड़ कर दी अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे कि प्रार्थी की खातेदारी की काश्तकारी भूमि ख०न० 4826/0.04, 4878/0.28 है० वाके ग्राम	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रा०पत्र 212 RTA.	
	इनामपुरा के कब्जे काश्त में था या उत्पन्न नहीं करने दी उक्त आराजीयात की सुरक्षा दीवार को तोड़फोड़ की। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा जवाब प्रा०पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की सुरक्षा दीवार में कोई तोड़ फोड़ नहीं की है न ही प्रार्थीगण की आराजीयात से उनका कोई लेना-देना है। हमने उभयपक्ष के वकुलाय द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का भी अवलोकन किया विवादित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हो रही है अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात की सुरक्षा दीवार में तोड़ फोड़ करते हैं - जैसा कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रा०पत्र 212 RTA	अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है जहां तक सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय हानि का बिन्दु है यह दोनों बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है प्रार्थी की सुरक्षा दीवार को अप्रार्थी द्वारा तोड़-फोड़ करने तो प्रार्थी को अपनी आराजीयात से लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा इस कारण उसे अपूरणीय हानि होगी। इस प्रकार उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा को ता फैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी ख०नं० 4826/0.04, 4878/0.28 है० वाके ग्राम इमामपुरा तह० लवाण प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे न ही उक्त आराजीयात की सुरक्षा दीवार में तोड़-फोड़ करे (निर्णय सुनाया गया) पत्रावली फैसल शुमार होकर रवाना हो। असल दावा की पत्रावली शामिल संलग्न रहे	